कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/कोर्ट केस/बी–2/अपील/671/2018 दि.10.07.18 द्वारा श्रीमती इन्दिरा गुप्ता, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याण कुन्ज, झोटवाडा, जयपुर को दोहरे पदस्थापन के मद्देनजर राज्य हित में योगकाल एवं यात्रा भत्ता अनुज्ञेय करते हुए राउमावि–पुठौली, गंगरार जिला चित्तौडगढ स्थानान्तरित किया गया था जिसके विरूद्ध श्रीमती गुप्ता द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 16984/2018 इन्दिरा गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई थी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम स्थगनादेश की अनुपालना में श्रीमती इन्दिरा गुप्ता को माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याण कुन्ज, झोटवाड़ा, जयपुर में एवं श्री सुनील कुमार उपाध्याय, प्रधानाचार्य का अन्तरिम समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णयाधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुठौली, गंगरार जिला चित्तौडगढ़ किया गया था।

माननीय न्यायालय द्वारा श्रीमती इन्दिरा गुप्ता की याचिका को अपने निर्णय दिनांक 01.03.2019 द्वारा खारिज किये जाने के फलस्वरूप श्रीमती गुप्ता के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.07.2018 पुनः प्रभावी हो गया है। उक्त आदेश के प्रभावी होने की स्थिति में श्रीमती इन्दिरा गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुठौली, गंगरार जिला चित्तौडगढ़ में एवं श्री सुनील कुमार उपाध्याय विभागीय आदेश दिनांक 19.05.2018 की अनुपालना में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याण कुन्ज, झोटवाड़ा, जयपुर में प्रधानाचार्य पद के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

श्रीमती इन्दिरा गुप्ता के सम्बन्ध में जारी आदेश दिनांक 10.07.2018 के अनुसार इन्हें योगकाल एवं यात्रा–भत्ता देय होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया /16984/2018 **दिनांक** 24.05.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. शासन उप सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय (माध्यमिक) जयपुर/उदयपुर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित अधिकारियों को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)